



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092023-248654
CG-DL-E-12092023-248654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3818]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945

No. 3818]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2023

का.आ. 3980(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 51 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में, का.आ. सं. 2127(अ), तारीख 10 सितंबर, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के निबंधनों, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) अथवा धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन जब्त संपत्तियों को प्राप्त करने, उनका प्रबंध और निपटान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के 'विशेष निदेशकों' को 'प्रशासकों' के रूप में नियुक्त करती है। इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रशासक उक्त अधिनियम के उपबंधों और धन-शोधन निवारण (जब्त संपत्तियों की प्राप्ति और प्रबंधन) नियम, 2005 द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. के-11022/45/2023-एड. ईडी-डीओआर]

राजीव लोचन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th September, 2023

S.O. 3980(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 read with section 51 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (herein after referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii) vide number S.O. 2127(E), dated the 10th September, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints 'Special Directors' of the Regional Offices of the Directorate of Enforcement as 'Administrators' to receive, manage and dispose the property confiscated under provisions of sub-section (5) or sub-section (7) of section 8 or section 58B or sub-section (2A) of section 60 of the said Act, in terms of sub-section (2) and sub-section (3) of section 10 of said Act. The Administrators so appointed shall be governed by the provisions of the said Act and the Prevention of Money-laundering (Receipt and Management of Confiscated Properties) Rules, 2005.

[F. No. K-11022/45/2023-Ad.ED-DOR]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.